2021/49

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दुर्गाशंकरजी
जाति रावल
निवासी मु.पो. नितौडा तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 28 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.03.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनॉक 28.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नितौडा पटवार हल्का नितौडा गांव नितौडा में कौन–कौन से खसरा नं. में बिलानाम भूमि स्थित है एवं वर्तमान में उक्त भूमि पड़त है या अन्य स्थिति है। पटवार हल्का नितौडा से वर्ष 2017 से 2020 तक नामान्तरकरण की सूचना एवं नितौडा से भावरी नदी तक मैन रोड के बाए–दाए भाग में स्थित का किन–किन प्रयोजनार्थ हेतु भू–रूपान्तरण किया गया है। उक्त सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनॉक 28.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नितौडा पटवार हल्का नितौडा गांव नितौडा में कौन–कौन से खसरा नं. में बिलानाम भूमि स्थित है एवं वर्तमान में उक्त भूमि पडत है या अन्य स्थिति है। पटवार हल्का नितौडा से वर्ष 2017 से 2020 तक नामान्तरकरण की सूचना एवं नितौडा से भावरी नदी तक मैन रोड के बाए–दाए भाग में स्थित का किन–किन प्रयोजनार्थ हेतु भू–रूपान्तरण किया गया है। उक्त सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना [illegible] अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार [illegible]वाडा [illegible] आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही ग[illegible] सूचना तत्काल [illegible]नुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में [illegible] आदेश पारित कर अपीलांट [illegible] सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.27 12:14:24 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner